न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 58 / 2025 दिनांक 13 .11.2025

पीठासीन अधिकारीःदीपक महावर (R.A.S)

उनवान

1— ओमप्रकाश आत्मज लूणकरण जाति ब्राहमण निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1— घनश्याम आत्मज भंवरलाल जाति मीणा
2— सियाराम आत्मज रामेश्वर जाति मीणा
निवासीगण हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा
3— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर सेः— श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर सेः— श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) 1 की ओर से निम्न आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है किः—

उपरोक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जेरेकार है।

1— यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्य हैं। वादी द्वारा खातेदार के विरूद्ध वाद पत्र पेश किया है जो वादी द्वारा उक्त आराजी खसरा न0 672,673,674, कुल 3 किता 0.42 है0 जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। जो वादी दवारा इकरारनामा के आधार पर वाद पेश किया जो विधी द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है।

2— यह की वादी द्वारा अपने वाद पत्र में राधेश्याम पुत्र श्री भंवरलाल जाति मीणा से भूमि खरीद करना बताया है जो राधेश्याम उक्त आराजी का खातेदार नहीं हे तथा उक्त आराजी खातेदार नहीं होने से बेचान करने अधिकार नहीं है जो इकरार नामा आलेखित किया है जो बेसर हैं। इस वाद पत्र विधी द्वारा वर्जित है।

3— यह कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में मृतक प्रभूलाल कायम मुकाम राधेश्याम को पक्षकार नहीं बनाया है। बिना पक्षकार बनाये वाद पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4— यह कि उक्त इकरार नामे के अनुसार वाद पत्र पेश करने का क्षैत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को होने से उक्त वाद पत्र खारीज होने योग्य है।

5— यह कि वादी का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है चुकि वादी द्वारा दिनांक 27.03.2092 को अपने इकरार नामा बाबत तहरीर आलेखित करवाई है जो करीब कई वर्ष हो चुके है इस कारण वाद कारण उत्लन्न नही अुआ है चुकि उक्त इकरार नामा के अवधि 3 वर्ष से अधिक होने के बाद वाद पत्र मे माननीय न्यायालय में पेश किया हैजो इकरार नामा 3 वर्ष से अधिक होने के बाद समाप्त माना जाता है। इस कारण उक्त वाद पत्र में वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

6— यह कि उक्त विवादित आराजी वादी द्वारा किसी भी खातेदार से खरीदनहीं की है तथा खातेदार के विरूद्ध वाद लाने का अधिकारी नहीं होने से वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

7— यह कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में मृतक प्रभूलाल के कायम मुकाम बनवारी सोसरबाई व मधुसूदन को भी पक्षकार नहीं बनाया है। वादी द्वारा गलत तथ्य के आधार पर वाद पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है जो वाद पत्र पेश करने का अधिकार सिविल न्यायालय का है। इस कारण वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी व 151 सीपीसी का स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादी) को दिलवाई गयी।

अप्रार्थी (वादी) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः—

1— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है।
2— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है।
3— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
4— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
5— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
6— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है।
7— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
8— यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 अस्वीकार है।

अतःप्रार्थना अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

1— यह कि उक्त प्रश्न विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो बाद साक्ष्य ही निर्धारित किया जा सकता है जिससे उक्त वाद में प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करना व तनकीयात कायम किया जाकर उक्त प्रकरण में साक्ष्य ली जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होने से उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

2— यह कि उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती का है जो माननीय न्यायालय में ही पोषणीय होने से खारिज होने योग्य है।

3— यह सिविल न्यायधीश दीगोद के यहा व्रिकय पत्र प्रभावशून्य घोषित करने का वाद पेश किया है व माननीय न्यायालय में घोषणात्मक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92A 188 का पेश किया है जो सर्वाच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार पूर्व में राजस्व न्यायालय से घोषणत्मक डिक्री प्राप्त करने के पश्चात ही विकय प्रभावशून्य वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में 88,89,92A 188 का पोषणीय है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4— यह कि वाद में वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो वाद पत्र में अंकन है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी का सव्यय खारिज फरमाया जावे। जवाब की प्रति प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) 1 को दिलवायी गयी।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस 2025(1)RRT 102 तथा प्रतिवादी अधिवक्ता ने 2009(1)RRT 638 का उल्लेख किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर अपना नाम दर्ज करवाने के संबंध में रिलिफ चाही गई हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के बिंदु सं0 2 में प्रतिवादीगण की ओर से स्पष्ट अंकित किया गया है कि वक्त खरीद राधेश्याम उक्त आराजी में खातेदार नहीं था तथा खातेदार नही होने से उसे भूमि बेचान करने का अधिकार नही है।वादी द्वारा वाद पत्र के बिन्दु सं0 5 में स्वयं भी आलेखित किया है कि वक्त खरीद राधेश्याम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं था। नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने तक व्यक्ति उस भूमि को बेचान,रहन या इकरारनामा करने का अधिकारी नहीं होता हैं। रही बात इकरार नामा की तो इकरारनामे के आधार पर स्वय की खातेदारी घोषणा की उद्घोषणा का वाद राधेश्याम को तत्समय प्रभूलाल आत्माज भैरूलाल अथवा उसके वारिसान के विरूद्ध करना चाहिए था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि की खरीद मधुसुदन नागर

से व मधुसुदन नागर द्वारा उक्त भूमि की खरीद प्रभुलाल के वारिसान से की है जिनका की वक्त बेचान जमाबंदी में नाम दर्ज था।

वादी द्वारा एक एसे व्यक्ति से भूमि की खरीद की गई जिसका की जमाबंदी में नाम नहीं था और भूमि की खरीद उपरान्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद लाया गया। जेा कि विधि द्वारा अपवर्जित है अतः कोई वाद कारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है।

वादी द्वारा इकरार नामा दिनांक 27.03.1987 का जिक्र किया गया है किन्तु इकरार नामा वैध है अथवा अवेध यह एक पृथक प्रक्रिया का भाग है व इकरारनामा के वैध होने अथवा ना होने संबंधी वाद में पक्षकार बनने का हक मात्र प्रभूलाल के वारिसान व राधेश्याम के वारिसान को ही है।

अतः प्रकरण के अद्योपान्त अवलोकन विवेचन तथा अनुशीलन के उपरान्त हम यह पाते है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा अपवर्जित है अतः कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

फाईनल डिक्री ब मुकद्मे

(ऑर्डर 7, रूल 11, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारीःदीपक महावर (R.A.S)

उनवान

1— ओमप्रकाश आत्मज लूणकरण जाति ब्राहमण निवासी हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा **(वादी)**

बनाम

1— घनश्याम आत्मज भंवरलाल जाति मीणा

2— सियाराम आत्मज रामेश्वर जाति मीणा
निवासीगण हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा

3— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 **(प्रतिवादी)**

वादी की ओर सेः— श्री शिव प्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर सेः— श्री भारत शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

मिसल नं0 58/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिनजानिब मुद्ई मिलजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा अपवर्जित है व कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13/11/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)